फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **हरनीतसिंह**

विपक्षी :— **राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा :— 136 एलआरएक्ट

पत्रावली संख्या :— **154/25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :— **2025/527**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 28.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.08.99 का अवलोकन करने से जाहीर आया की प्रार्थी द्वारा ग्राम डबोक पटवार हल्का डबोक के आराजी नम्बर 728 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा क्रय किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में प्रार्थी का नाम हरनीतसिंह दर्ज था। उक्त भूमि का प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार होने के पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में एक वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद भूमि विनिमय हेतु प्रस्तुत किया था। जिसमें प्रार्थी का नाम आराजी नम्बर 728 से हटाकर आराजी नम्बर 714, 715 में 1/2 हिस्से से अंकित किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद के उनवान में हरजीतसिंह अंकित कर देने से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भी वादी का नाम हरजीतसिंह अंकित कर दिया गया। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय, आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम हरनीत सिंह ही अंकित है। न्यायालय का मानना है कि उक्त त्रूटि केवल मात्र वाद पत्र में टंकण भूलवंश हुई। जो आगे से आगे वाद पत्र के निर्णय एवं उसके पश्चात नामान्तरकरण में हो गई। इसके संबंध में प्रार्थी एवं सहखातेदार द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत किए है। अतः राजस्व रेकार्ड में सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 723 पर दर्ज आराजी नम्बर 714, 715 किता 2 कुल रकबा 0. 1862 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम हरजीतसिंह पुत्र विरेन्द्रसिंह के बजाय हरनीतसिंह पुत्र विरेन्द्रसिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:30:15 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]रवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली